न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
11 / 2014 / प्रा.पत्र / 2014	11.09.2014	04.09.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.............प्रार्थी

बनाम

1–विक्रेता श्री मदन लाल जैन पुत्र श्री चिरंजी लाल जैन जाति महाजन निवासी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स मदन लाल ज्ञान चन्द नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक

2–मैसर्स मदन लाल ज्ञान चन्द नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक

3–श्री अविनाश हैगडे नॉमिनी मैसर्स बंगे इण्डिया प्रा. लिमिटेड एन एच 12 रामगंज बालाजी जिला बूंदी राज.

4–मैसर्स बंगे इण्डिया प्रा. लिमिटेड एन एच 12 रामगंज बालाजी जिला बूंदी राज.

.........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री राधेश्याम धाकड़ उप.।

:–<u>निर्णय</u>–: **दिनांक 04.09.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10.2013 को समय 04:30 पीएम पर मैसर्स मदन लाल ज्ञान चन्द नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री मदन लाल जैन पुत्र श्री चिरंजी लाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मदन लाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ कागज के 19 कार्टूनों में 570 बोतल **रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल ब्राण्ड)** के 500 एमएल पैक के रखे हुए थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री मदन लाल जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मदन लाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह बोतल **रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर बीएन 190214 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500 एमएल पैक की 4 बोतलें खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल ब्राण्ड)** के एक–एक बोतल वाले चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–680, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–680 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक, अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री मदन लाल जैन पुत्र श्री चिरंजी लाल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स बंगे इण्डिया प्रा. लिमिटेड एन एच 12 रामगंज बालाजी जिला बूंदी राज. का बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 14 / 1187 दिनांक 11.04.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस. / 40 / एफएसएसए / 2014 / 44 दिनांक 14.03.2014 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार जैन उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी श्री मदन लाल जैन की मृत्यु होना बताते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री राधेश्यााम धाकड उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। अतः प्रकरण

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल ब्राण्ड)** विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी सं. 1 श्री मदन लाल जैन की मृत्यु होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 20,000/— (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 04.09.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0